गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण,
संस्थागत सेक्टर–7, गोरखपुर

प्रकाशनार्थ

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण में अद्योलिखित कार्य हेतु आफ लाईन निविदा के माध्यम से कार्य कराये जाने हेतु गीडा में विद्युत कार्य के अन्तर्गत 'डी' में पंजीकृत ठेकेदारो से टू बिड अल्पकालीन निविदा आमन्त्रित किया जाता है। निविदा दिनांक 11.07.2019 को प्रातः 10.00 बजे से 31.07.2019 सायं 3.00 बजे तक मोहर बन्द सिल्ड टू बिड (A–तकनीकी बिड व B–फाइनेन्सियल बिड) निविदायें आमन्त्रित की जाती है। निविदा गीडा कार्यालय में दिनांक 31.07.2019 को सायं 3.00 बजे तक रखे निविदा बाक्स में डाली जायेंगी एवं उपस्थित ठेकेदारो के समक्ष उसी दिन सायं 4.00 बजे A–तकनीकी बिड खोली जायेगी तथा पात्रता पूरी करने वाले ठेकेदारो की B–फाइनेन्सियल बिड दिनांक 01.08.2019 को सायं 3.00 बजे खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र निर्धारित शुल्क जमा कर गीडा कार्यालय के वित्त अनुभाग से दिनांक 11.07.2019 से 31.07.2019 को दिन मे 2.00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है। निविदा के साथ धरोहर राशि के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक/डाक घर द्वारा निर्गत एन0 एस0 सी0/एफ0 डी0 आर0 संलग्न करना अनिवार्य है। उसका उल्लेख निविदा प्रपत्र पर करना अनिवार्य होगा। धरोहर राशि की छायाप्रति मान्य नही होगा।

| कम सं0 | कार्य का नाम | आगणन धनराशि जी.एस.टी.सहित। | धरोहर धनराशि | निविदा मूल्य जी.एस.टी. सहित। | कार्यावधि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | कामर्शियल सेक्टर–22 में 400 के0वी0ए0 का ट्रान्सफार्मर लगाने का कार्य। | रू0 986000.00 | रू0 98600.00 | रू0 1180.00 | 30 दिन |
| 2 | कामर्शियल सेक्टर–22 में दो अद्द सेमी हाई–मास्ट लगाये जाने का कार्य। | रू0 899803.00 | रू0 89980.00 | रू0 1180.00 | 40 दिन |

नोटः–

उक्त कार्यो की जानकारी गीडा की वेबसाईट– **www.gidagkp.org** पर देखा जा सकता है। एवं किसी भी कार्य दिवस में निविदा की नियम एवं शर्ते अभियंत्रण अनुभाग गीडा में देखी एवं जानी जा सकती है।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
गीडा, गोरखपुर

1077
पत्रांकः– उपरोक्त दिनांकित 10-7-19

प्रतिलिपिः

1–सहायक प्रबन्धक कम्पयूटर को इस आशय से प्रेषित कि गोरखपुर औद्योगिक विकास प्रधिकरण(गीडा) की वेब साईट पर निविदा सूचना प्रपत्र अपलोड करने हेतु प्रेषित।

2–सहायक महा प्रबन्धक(सम्पत्ति)/जन सम्पर्क अधिकारी को दो राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशन कराने हेतु प्रेषित।

3–गीडा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
गीडा, गोरखपुर

# गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण,
# संस्थागत सेक्टर–7, गोरखपुर

नियम एवं शर्तें:–

**A)** 1.निविदा की वैद्यता निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से 90 दिन तक होगी। निविदादाता द्वारा निविदा मूल्य डी0डी0 के रूप में जो गीडा, गोरखपुर के पक्ष में देय होगा। जिसकी वैद्यता 03 माह से कम न हो, संलग्न करना अनिवार्य है।

2.निविदादाता द्वारा परफार्मेन्स सिक्योरिटी यदि देय होती है तो राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ0 डी0 आर0/एन0 एस0 सी0 मूल रूप में जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा के पक्ष में बन्धक होगीं एवं गोरखपुर में देय हो व जिसकी वैद्यता 36 माह से कम न हो, संलग्न करना अनिवार्य है।

3.निविदा के साथ आगणित धनराशि का 10 प्रतिशत धरोहर धनराशि के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 मूल रूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा। जिसकी वैद्यता 36 मॉह से कम न हो। कार्य सकुशल सम्पन्न होने एवं एक वर्ष बाद धरोहर धनराशि अवमुक्त कि जायेगी।

**B)** प्रत्येक निविदादाताओं को रू0 100.00 के नॉन ज्यूडिसियल स्टैम्प के शपथ पत्र पर सभी सूचनाएं सही है संलग्न करना अनिवार्य है।

**C)** अपराधिक रिकार्ड वाले अथवा स्टेटबार काउन्सिल में पंजीकृत निविदादाता को निविदा प्रक्रिया में

भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। टेण्डर में सुचिता लाने तथा माफिया गतिविधियों एवं गुण्डा तत्वों पर रोक लगाने एवं जो माफिया गतिविधियो, गंगेस्टर एवं गुण्डा गतिविधियों में संलिप्त हो,

उसे ठेका नही दिया जायेगा। ऐसे व्यक्तियों का ठेका प्रक्रिया में भी भाग लेना प्रतिबन्धित होगा, साथ ही जो ठेकेदार पूर्व में लोक निर्माण विभाग अथवा राज्य सरकार या किसी अन्य विभाग में ब्लैक

लिस्टेड श्रेणी में आते हैं वो भी ठेके में भाग नहीं ले सकेगें। ऐसे ठेकेदार को कोई भी ठेका स्वीकृत नहीं किया जायेगा। ठेकेदार को उपरोक्तानुसार शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

**D)** निविदादाता द्वारा वार्षिक टर्न ओवर का सी0ए0 द्वारा प्रमाणित बैलेन्स शीट एवं आई0 टी0 आर0 तथा नवीनतम वैध चरित्र प्रमाण–पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, पैन कार्ड तथा जी0 एस0 टी0 का पंजीकरण की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

**E)** निविदादाता द्वारा कम रेट अंकित करने पर नियमानुसार निर्धारित तिथि के अन्तर्गत पर्फारमेन्स सिक्योरिटी जमा करने के पश्चात ही अनुबन्ध की कार्यवाही की जायेगी। अन्यथा की स्थिति में जमानत धनराशि जप्त करते हुये अग्रिम कार्यवाही का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा में निहित होगा। जमा की गयी परफार्मेन्स सिक्योरिटी संतोष जनक ढंग से कार्य पूर्ण करने के उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।

**F)** निविदा की दरें स्पष्ट रूप से शब्दों तथा अंको में निर्धारित स्थान पर अंकित होने चाहिए।

**G)** निविदा स्वीकृति के पश्चात आदेश प्राप्ति के तीन दिवस के अन्दर निर्धारित स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध सम्पादित कर कार्य प्रारम्भ करना होगा तथा नियत समय के अन्दर पूर्ण करना आवश्यक है।

H) कार्य पूर्ण होने के पश्चात 12 माह के अन्दर कराये गये कार्य में किसी प्रकार की कमीं पाये जाने पर कमीं को दूर करना ठेकेदार/फर्म की पूर्ण जिम्मेदारी होगी। निर्धारित डिंफेक्ट लायबिजिटी पिरीयड तक यदि भविष्य में शासन द्वारा डिफेक्ट लायबिजिटी पीरीयड बढ़ाई जाती है तो ठेकेदार/फर्म द्वारा मान्य होगा। अन्यथा की स्थिति में धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी। तथा कराये गये कार्य की निधारित लाईबिलिटी पिरियड के साथ 12 माह बाद धरोहर धनराशि वापस की जायेगी।

I) ठेकेदार द्वारा निर्धारित समय से कार्य पूर्ण न किये जाने की दशा में विलम्ब का कारण दर्शाते हुए संतोषजनक उत्तर न देने पर समयवृद्धि का अधिकार (नियमानुसार अर्थदण्ड देते हुए) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा में निहित होगा।

J) अव्यवहारिक दरें किसी भी दशा में मान्य नही होंगी।

K) निविदाकार द्वारा निविदा के साथ संलग्न प्रपत्र जांच के समय अथवा बाद में असत्य पाया जाता है तो सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराते हुए धरोहर धनराशि जब्त कर ब्लैक लिस्ट किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

L) किसी भी विवाद की दशा में मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

M) कार्य फर्म/ठेकेदार द्वारा प्रत्येक दशा में अनुबन्ध की प्रक्रिया सम्पन्न होने की तिथि से निर्धारित अवधि के अन्दर पूर्ण करना होगा।

N) निविदा प्रपत्र एवं धरोहर धनराशि मूल रूप से निविदा के साथ संलग्न कर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा), सेक्टर–7, गोरखपुर कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।

O) निविदाकार को नियमानुसार जी.एस.टी. एवं अन्य प्रचलित करो का भुगतान स्वयं करना होगा।

P) ठेकेदार के बिल से 1 प्रतिशत श्रमिक पंजीयन उपकर (सेस चार्ज) विभाग द्वारा नियमानुसार काटा जायेगा।

Q) फर्म को कम्पनी द्वारा देय वारन्टी अवधि का प्रमाण पत्र जो निर्माता कम्पनी द्वारा जारी किया गया हो उसका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

R) मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी द्वारा सामग्री का निरीक्षण करने के उपरान्त सामग्री ठीक होनें की दशा में आपूर्ति मगायी जायेगी।

S) किसी भी विवाद की दशा में मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।